वर्ष——— के लिये चिकित्सा घोषणा पत्र MEDICAL DECLARATION FORM FOR

1- सरकारी कर्मचारी का नाम/Name of Govt. Servant :

(पिता के नाम सहित स्पष्ट अक्षरों में) (with Fathers name in block letters)

2- पदनाम / Designation

3- प्रभाग / अनुभाग / Division / Section

4— वेतन तथा अन्य भत्ते :

Basic pay plus other allowances

परिवार के आश्रितों का विवरण/DETAILS OF FAMILY DEPENDENTS

क्रम सं0 Sl.No.	कार्य स्थान पर सरकारी कर्मचारी के साथ रहने वाले परिवार के सदस्यों का नाम/ Name of family members residing at place of Govt. servant	आयु Age	परिवार के सदस्यों का सरकारी कर्मचारी के साथ संबध/ Relationship with Govt. servant	दिया जाय/ Details of family members if living outside place and period of
				stay

मै एतत्द्वारा घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त आवेदन में दिए गए विवरण मेरी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है। परिवार के उपरोक्त सदस्य पूर्णतया मेरे ऊपर आश्रित है और मेरे साथ रह रहे है। मेरे माता—िपता का आय रू. 1500/— प्रतिमाह से अधिक नहीं $\frac{1}{5}$ I hereby declare that the statement made in the above application is true to the best of my knowledge and belief The persons as noted above are wholly dependent at upon me and are residing with me. The income of my parent does not exceed Rs.1500/- per month.

दिनॉक / Date:

सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर/ Sig.of Employee's पदनाम / Designation प्रभाग/अनुभाग/ Division/Section आवास का पूरा पता/ Full residential address

अग्रेषण अधिकारी की अभियुक्ति / Remarks of the forwarding officer

छुट्टी यात्रा रियायत (एल.टी.सी.) के प्रयोजन के लिए "परिवार" का परिभाषा DEFINATION OF FAMILY FOR THE PURPOSE OF L.T.C.

छुट्टी यात्रा रियायत (एल.टी.सी.) के संबंध में परिवार का अभिप्राय है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी के साथ रहने वाली/वाला स्थित के अनुसार पत्नी अथवा पित तथा सरकारी कर्मचारी पर पूर्णतया आश्रित एवं साथ रहने वाले विधि सम्मत बच्चे और सौतेले बच्चे हो सकते है। परिवार में सरकारी कर्मचारी पर पूर्णतया आश्रित तथा साथ रहने वाले माता—पिता, बहने, विधवा, पुत्री तथा नाबालिंग भाई भी शामिल है तथा जिनकी आय पेंशन सिहत (पेंशन में अस्थायी वृद्धि एवं मृत्यु—निवृत्ति उपदान लाभ के समकक्ष पेंशन को मिलाकर) सभी स्रोतो से कुल रू01500/— प्रतिमाह से अधिक न हो, वे भी सरकारी कर्मचारी पर पूर्णतया आश्रित माने जा सकते हैं/ As regard the LTC family means a Govt. servant's wife or husband, as the case may be, residing with the government servant and legitimate children, step children residing with and wholly dependent upon the Govt. servant. It also includes, in addition parents, sisters, widowed, daughter and minor brother's if residing and wholly dependent upon the Govt. servant and whose income from all including pension (inclusive of temporary increase in pensions & pension equivalent of DCRG benefit) does not exceed Rs. 1500/- p.m. may be deemed to be wholly dependent upon the Govt. servant.

वर्ष के लिये छुट्ट	टी यात्रा रियायत	(एल.टी.सी.) के	संबंघ में	घोषणा प	র
DECLARATION FO	ORM FOR THE	(L.T.C.)		
सरकारी कर्मचारी का नाम / Name of Govt. servant	:				

(पिता के नाम सहित स्पष्ट अक्षरों में) (with Fathers name in block letters)

2- पदनाम / Designation

3- प्रभाग / अनुभाग / Division / Section

क्रम सं0 Sl.No.	परिवार के सदस्यों का नाम/ Name of family members	आयु Age	परिवार के सदस्यों का सरकारी कर्मचारी के साथ संबध / Relationship with Govt. servant	सरकारी कर्मचारी के साथ वास्तविक रूप से रहने की तारीख / Date from which actually residing with the Govt. servant	यदि परिवार के सदस्य बाह्म स्थान पर रह रहे हों तो उस स्थान तथा वहाँ पर ठहरने की अवधि का पूरा विवरण दिया जाय/ Details of family members if living outside place and period of stay
					prince and period of stary

मै एतत्द्वारा घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त आवेदन में दिए गए विवरण मेरी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है। परिवार के उपरोक्त सदस्य पूर्णतया मेरे ऊपर आश्रित है और मेरे साथ रह रहे है। मेरे माता—िपता की आय कुल स्रोतो (घर, जमीन तथा पेंशन में अस्थायी वृद्धि एवं मृत्यु—िनवृत्ति—उपदान लाभ के समकक्ष पेंशन को मिलाकर) से रू. 1500/- प्रतिमाह से अधिक नही है/ I hereby declare that the statement made in the above application are true to the best of my knowledge and belief The persons as noted above are wholly dependent upon me and residing with me. The income of my parents do not exceed Rs.1500/- p.m. from all the sources including house, land-holding, pension (inclusive of temporary increase in pension and pension equivalent to DCRG benefits). दिनाँक / Date:

सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर/ Sig.of Employee's पदनाम / Designation प्रभाग/अनुभाग/ Division/Section आवास का पूरा पता/ Full residential address